राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2660/2023

पुष्पेन्द्र सिंह संत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, करौली।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.10.2023

आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेडी, गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.01.2021 जो अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दिया गया है और उक्त आरोप पत्र राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत दी गई है। आदेश दिनांक 24.03.2021 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और आरोप पत्र सीसीए नियम 16 के

अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज होने के आधार पर दिया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2015 में हिण्डौन सिटी, जिला करौली में पदस्थापित किया गया था और झूठी एवं गलत शिकायत के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिसके क्रम में उसे गिरफ्तार किया गया और उसे जमानत पर रिहा किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को आदेश दिनांक 06.08.2015 के द्वारा निलंबित किया गया और जांच पूर्ण होने उपरांत उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। आदेश दिनांक 25.11.2019 के द्वारा अपीलार्थी को बहाल किया गया और अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया। उनका कथन है कि नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.12.2020 को जवाब प्रस्तुत किया और इस प्रकार अपीलार्थी को बिना किसी आधार के आरोप लगाया जा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 76/2021 यादराम बनाम राज्य, 9376/2021 सत्यनारायण मालव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया। उनका कथन है कि उक्त मामले को सक्षम न्यायालय द्वारा ही हल किया जा सकता है और अपीलार्थी के विरूद्ध जिसके द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ की गई है, वह सक्षम नहीं है और इस प्रकार आरोप पत्र को निरस्त फरमाया जावे और ज्ञापन/आरोप पत्र दिनांक 28.01.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेडी, गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडे जाने के कारण दिनांक 06.08.2015 से निलंबित किया गया और आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा निलंबन से बहाल कर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया और दिनांक 25.11.2019 के द्वारा अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया। ज्ञापन दिनांक 28.01.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त ज्ञापन नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और अपीलार्थी को उक्त आरोप पत्र राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडा गया है, जिसके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो एक

गंभीर आरोप की श्रेणी में आता है। अतः अपीलार्थी के तर्क में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य